

Hkkj r l j dkj
[kku ea=ky;
Hkkj rh; [kku C; ij kj
{ks=h; [kku fu; a=d dk; kZy;
f}rh; ry] th0 , l 0 vkbD OhYM Af'k{k.k dln] egkys[kkdkj dk; kZy; i fj l j j
i kLV&fo/kku l Hkk] jk; ij &492005 %NUkh x<½
Oku , oa QDI &0771&2282530] 2285590/95 b&esy% ro.raipur@ibm.gov.in



No- CHG/DRG/LST-51/RPR

खान कोड- 38CHG05020

fnukad%&05.03.2022

प्रेषित-

श्री के.बी.लाल श्रीवास्तव एंड सन, पट्टेदार
वास्ते श्री संजय श्रीवास्तव,
जी-4, आदर्श नगर, ग्राम एवम पोस्ट-दुर्ग,
दुर्ग(छ.ग.)-491001
ई-मेल: - sanjayshrivastava74@gmail.com

बिसय: छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके मेडेसरा चूना पत्थर खान (Area 12.85 Ha.) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में ।

महोदय,

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 & 2021 were found violated during inspection of the above mine on 14.03.2022 by undersigned accompanied by Shri Sanjay Shrivastava, Mine Owner.

fu; e	mYy@ku ds i dkj dk foLr'r C; ksj k
45(5)(c)	In annual return for financial year 2020-21 following discrepancies are observed; <ol style="list-style-type: none"> In part V for reserve/resource the data furnished is nil. In part III under consumption of explosive OB generation mentioned 10000 tons whereas in Part V under mining operation OB generation shows nil. The Ex-Mine price is mentioned as Rs 457.76/- whereas the sale price for M/S Shrivastava Minerals Rs 395.65/- and mentioned as domestic transfer. This shows sale price is less than ex-mine price. The dispatched quantity of 1975 tons of limestone of amount Rs 6632766/-, Registration No as allotted by Indian Bureau of Mines to buyer not mentioned in Annual return of 2020-21. In Cost of Production it is not clear that NMET & DMF amount is included.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 45(7) के अंतर्गत ।

- (क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप च1, च2, च3 में मासिक बिबरनी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा ।
- (ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।
- (ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है ।
- (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है ।

03. अतःआपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(c) का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. निदेशक (सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लाक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001।

(राजेश कुमार दास)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर